पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 50/2018 1270 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आरा।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
आरा (भोजपुर)।

पटना, दिनांक– 03/10/18

विषयः– AMRUT मिशन योजनान्तर्गत आरा नगर निगम क्षेत्र के कलक्ट्री तालाब घाट के upgradation and beautification के डी0पी0आर0 के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1888 दिनांक–20.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में आपके द्वारा AMRUT मिशन योजनान्तर्गत आरा नगर निगम क्षेत्र के कलक्ट्री तालाब घाट के upgradation and beautification का डी0पी0आर0 अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि AMRUT योजना के अन्तर्गत पार्क का विकास/उन्नयन कार्य होना है, जबकि प्रस्तुत डी0पी0आर0 कलक्ट्री तालाब घाट के upgradation and beautification से संबंधित है। डी0पी0आर0 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निदेश के आलोक में निर्माण कार्य में Brick work मद में fly ash brick का ही व्यवहार किया जाना है। प्राक्कलन के कतिपय मदों में 100 A brick का व्यवहार किया गया है।

साथ ही दिनांक–31.08.2018 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में S.H.P.S.C (State level High Powered Steering Committee) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में AMRUT योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण कर संबंधित जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त की ली जाय। आपके द्वारा समर्पित प्राक्कलन में जिला पदाधिकारी की सहमति अप्राप्त है।

अतः उपुर्यक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यक संशोधनार्थ प्राक्कलन मूल में लौटाया जाता है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

03/10/18

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।